

jkt dks'kh; fLFkfr dh | eh{kk

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की अवधि में पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में इसमें 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

(iLrj 1.2)

राज्य द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹ 12,552 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया जैसा कि बजट अनुमान एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) 2017 द्वारा लक्षित था।

वर्ष 2017-18 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान, एम.टी.एफ.आर.पी. एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर रहा। अग्रेतर, राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 27,810 करोड़) में वर्ष 2016-17 (2016-17 में उदय के प्रभाव को हटाने के पश्चात्) की तुलना में 32 प्रतिशत की कमी हुई। यद्यपि यह पूंजीगत व्यय में कमी के आनुषंगिक था जिसमें वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत की कमी हुई।

अग्रेतर, राज्य द्वारा स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल बकाया ऋण के अनुपात के सम्बन्ध में बजट अनुमान, एम.टी.एफ.आर.पी. एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(iLrj 1.3 , Or 1.3.1)

l d k/kuk d k | xg. k

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 21,900 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों के सापेक्ष कम (₹ 40,622 करोड़) थी।

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष राजस्व व्यय में ₹ 29,632 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों के सापेक्ष कम (₹ 40,895 करोड़) थी।

वर्ष 2016-17 के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में ₹ 30,701 करोड़ (44 प्रतिशत) की कमी हुई जो बजट अनुमानों के सापेक्ष कम (₹ 14,170 करोड़) थी। वर्ष 2017-18 में लघु एवं सीमांत कृषकों को फसली ऋण माफी के लिये राजस्व व्यय के बजट प्रावधान में ₹ 36,000 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय के वर्ष 2016-17 के बजट प्रावधान (₹ 71,878 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में बजट प्रावधान में (₹ 53,258 करोड़) में 26 प्रतिशत की कमी हुई।

iLrfr: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।

(iLrj 1.3.3, 1.4 , Or 1.7.1)

i f j Hkkf"kr vdknk; h i dku ; kst uk

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत आच्छादित हैं। राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि वह वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समान मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 465.10 करोड़ का योगदान करने में विफल रही। विगत वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत इसके मैचिंग शेयर के रूप में ₹ 211.69 करोड़ का अंशदान नहीं किया।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 की अवधि में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 8,205.66 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश के लिए नामित प्राधिकारी को ₹ 703.16 करोड़ जमा नहीं किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को, नामित प्राधिकारी को ₹ 1,379.95 करोड़ (₹465.10 करोड़ + ₹211.69 करोड़+₹703.16 करोड़) का कम हस्तान्तरण किया गया और वर्तमान देयता को भविष्य के वर्ष (ओं) के लिए आस्थगित किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भविष्य में कर्मचारियों को देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा की/सरकार के लिए भविष्य में परिहार्य वित्तीय देयता सृजित की और इस प्रकार स्वयं ही योजना को संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

/ Lrfir% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्रवाही प्रारम्भ करनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को उनकी भर्ती की तिथि से अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाये। यह इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण योगदान देते हुए समयबद्ध तरीके से एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित फण्ड मैनेजर को सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाए।

(iLrj 1.7.1.3)

yksd 0; ; dh i ; klrnk

वर्ष 2017-18 में, विकास पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।

(iLrj 1.7.2.1)

fl pkbz fuekz k dk; k d s foRrh; i f j . kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। लागत वसूली में अन्तर, जिसमें वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में सुधार हुआ, परन्तु वर्ष 2017-18 में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि इसमें अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की तुलना में और सुधार किया जाना है।

/ Lrfir: राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करना चाहिये।

(iLrj 1.8.1)

fuos'k , oa i frQy rFkk __.k , oa vfxæ

वर्ष 2013-18 की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर ₹ 25,737 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर सरकार को ₹ 1,172 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

/ 1rfr: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

(iLrj 1.8.3 , oA.8.4)

vkj f{kr fuf/k; k ds vLrxlr yunu

वर्ष 2017-18 के अन्त में 35 आरक्षित निधियों में कुल ₹ 59,280.07 करोड़ का संचित अवशेष था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं, जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं। दो असंचालित आरक्षित निधियों के अतिरिक्त, जिनमें ₹ 45.20 करोड़ का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, इन आरक्षित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

/ 1rfr% वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख-रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।

(iLrj 1.9.2)

fu{kki fuf/k

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो इनके संचालन के लिए उत्तरदायी है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में इस निधि में ₹ 2,116.12 करोड़ की राशि (दिनांक 31 मार्च 2017 को बकाया दायित्व ₹ 4,23,223.78 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान किया जाना अपेक्षित था। तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में स.नि.नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹ 12,232.23 करोड़ का प्रावधान किया और पुस्तकीय हस्तान्तरण के द्वारा निक्षेप निधि में हस्तांतरित किया। निक्षेप निधि में से, बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के, बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 4,422 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत अन्तरित किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व खाते में अन्तरित धनराशि (₹ 4,422 करोड़) से वर्ष के राजस्व आधिक्य में अतिशयता हुई। अग्रेतर, 31.03.2018 को निक्षेप निधि के अन्तिम अवशेष ₹ 57,469.61 करोड़ का निवेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त,

निक्षेप निधि में ₹ 7,810 करोड़ के निवल वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की बकाया देनदारियों में उतनी ही राशि के समान वृद्धि हुई।

/ dLrfir% राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आर.बी.आई. द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।

(iLrj 1.9.2.1)

jkT; vki nk vu(Ø; k fuf/k (jk-vk-v-fu-)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विरुद्ध कि रा.आ.अ.नि. को “ब्याज सहित आरक्षित निधि” के अन्तर्गत संचालित करना चाहिये, राज्य सरकार रा.आ.अ.नि. को “ब्याज रहित आरक्षित निधि” के अन्तर्गत संचालित कर रही है। अग्रेतर, निधि के अवशेष मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां हैं जिनका रा.आ.अ.नि. के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये ₹ 37.22 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

अग्रेतर, वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹119.67 करोड़ की राशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की, जिसे मुख्य शीर्ष 1601— भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त ₹ 119.67 करोड़ का अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, ₹ 119.67 करोड़ से राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

/ dLrfir% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि “ब्याज सहित आरक्षित निधि” की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा. आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों अनुसार अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देश में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

(iLrj 1.9.2.3)

vkdfLed ns rk, &i R; kHkfr; ka dh fLFkfr

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 290.75 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अभिदान (वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 58,149.03 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। इसके कारण ₹ 290.75 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई है।

राज्य सरकार ने 16 संस्थानों को प्रतिभूतियाँ दीं, जिनमें से केवल दो संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था एवं शेष 14 संस्थानों को इससे छूट प्राप्त थी। यह पाया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा देय ₹ 10.56 करोड़ के सापेक्ष राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ₹ 9.74 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

/ dLrfir: बारहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त

करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

(iLrj 1.9.3)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दो अनुदानों तथा दो विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,337.17 करोड़ का व्ययव्यय हुआ। वर्ष 2005-06 से 2016-17 से सम्बन्धित 96 अनुदानों एवं 40 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययव्यय ₹ 29,648.64 करोड़ का विनियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी भी किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्प्रभावित करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्ययव्यय के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधायिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाय। राज्य सरकार द्वारा व्ययव्यय के कारणों की जाँच की जानी चाहिये एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये। पुनः कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि वे बजट प्रावधानों से अधिक व्यय करने की अनुमति न दें एवं भविष्य में ऐसे व्ययव्यय पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिये।

(iLrj 2.2.1)

40 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 58 प्रकरणों में ₹ 92,681.47 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी। अग्रेतर, उपर्युक्त 58 प्रकरणों में से 16 प्रकरण ऐसे थे जहाँ प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। 20 अनुदानों के अन्तर्गत 26 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹100 करोड़ और अधिक), ₹ 100.12 करोड़ एवं ₹ 17,493.77 करोड़ के मध्य थी।

वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।

(iLrj 2.2.2)

31 मार्च 2018 तक आकस्मिकता निधि से ₹ 463.08 करोड़ की धनराशि आहरित की गयी जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी, जिसमें पूर्व वर्ष का ₹ 300 करोड़ का अवशेष प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में ₹ 413 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 125 करोड़ वर्ष 2017-18 में उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को ऋण हेतु आहरित किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति 2018-19 के अनुपूरक अनुदान से की जानी थी। वर्ष 2017-18 में आहरित अवशेष बकाया अग्रिम ₹ 288 करोड़ के सापेक्ष ₹ 249.92 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2018 तक की गयी।

।Lrfir% राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति समय से की जाय।

(iLrj 2.2.9)

o\$ fDrd tek %i h-Mh-% [kkrk

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खातों में जमा एवं संवितरणों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। 31 मार्च 2018 को 1,328 पी.डी. खातों में अवशेष ₹ 4,688.14 करोड़ में से ₹ 2,460.82 करोड़ की राशि 31 पी.डी. खाते मुख्य शीर्ष 8342—अन्य जमा—120—विविध जमा से सम्बन्धित थी, जो पी.डी. खातों के लिए निर्दिष्ट लेखाशीर्ष नहीं है। अग्रेतर, सांहितिक प्रावधानों के विपरीत, ₹ 108.70 करोड़ की राशि 641 पी.डी. खातों में अनियमित रूप से जमा थी, जबकि ये पी.डी. खाते तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे। यह प्रथा विधायिका के अभिप्राय का उल्लंघन करती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाये। पुनःश्च, पी.डी. खातों में अवशेष राशियों का मिलान न कराया जाना तथा इन पी.डी. खातों में अव्ययित अवशेषों को राज्य के समेकित निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अंतरित न किया जाना लोक निधि के दुरुपयोग, कपट एवं गबन को प्रवृत्त करता है।

।Lrfir% वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी. खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिए कि इन पी.डी. खातों में अनावश्यक पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल समेकित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

(iLrj 3.1)

mi Hkksx i ek.k&i =k dks i f"kr u fd; k tkuk

31 मार्च 2018 तक वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती अनुदान राशि ₹ 83,979.44 करोड़ से सम्बन्धित कुल 1,53,949 उपभोग प्रमाण—पत्र (यू.सी.) लम्बित थे। अतः इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 83,979.44 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण—पत्रों का अधिकता में अप्राप्त रहना धन के दुरुपयोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था।

।Lrfir% राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्रतिवेदन संख्या 1 के प्रस्तर संख्या 3.11 की संस्तुति पर कार्यवाही किया जाना चाहिए एवं उपभोग प्रमाण—पत्रों के समय से प्राप्ति तथा नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों के अविलम्ब प्राप्ति की समीक्षा किये जाने की निगरानी हेतु विभाग की आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iLrj 3.2)

Hkou , oa vU; | fluekZ k Jfed %ch-vks| h-MCyw% dY; k.k mi dj

बी.ओ.सी.डब्लू. बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, इसलिए लेखापरीक्षा में आय एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016), उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में स्थानांतरण किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपकर, शुल्क आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहणकर्ता द्वारा संग्रहण किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अनन्तिम आंकड़े के अनुसार, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पांच से सात प्रतिशत व्यय किया गया एवं आठ से 15 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

/ dLrfr% उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

(iLrj 3.9)

fodkl i kf/kdj . kka dks vfrfjDr LVKEi M; W h dk vU rj . k

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट अनुपात में स्थानान्तरित कर दिया गया।

सरकार द्वारा निर्गत आदेश (सितम्बर 2013) में, अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का 25 प्रतिशत डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि (डी.यू.टी.एफ.) को अन्तरण किया जाना प्राधिकृत किया गया। यह उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के विपरीत था जिसमें इस तरह के विभाजन का प्रावधान नहीं था।

/ dLrfr% राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तांतरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

(iLrj 3.10)

I koLtfud {ks= ds mi Øek@fuxeka ds ys[kkvka ds vflrehdj . k ea foyEc

54 क्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (207 लेखे) एवं 34 अक्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (531 लेखे) के लेखे एक से 36 वर्षों से बकाये में थे। राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता ₹ 57,780.21 करोड़ (इक्विटी: ₹ 19,605.36 करोड़, ऋण: ₹ 4,581.27 करोड़, पूंजीगत अनुदान ₹ 11,210.69 करोड़, अन्य अनुदान: ₹ 9,773.86 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 12,609.03 करोड़) तथा प्रतिभूति ₹ 42,527.09

करोड़ 24 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों को लेखाओं के बकाया अवधि के दौरान दिया गया। इस प्रकार इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिये लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को बजटीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार को व्यय की उपयोगिता देखने की आवश्यकता है।

/Lrfr% वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू.के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता की समीक्षा करनी चाहिए जहां लेखे निरन्तर बकाया हैं।

(iLrj 3.13)

यकहकक k ?kkf"kr u fd; k tkuk

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूँजी के योगदान का न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश भुगतान करना चाहिए, के विपरीत नौ पी.एस.यू. ने ₹ 540.36 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

/Lrfr% राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा किया जाय।

(iLrj 3.14)

ys[kkvka ea vi kj nf' klrk

राज्य सरकार के विभागों द्वारा लघु शीर्ष 800 का नियमित रूप से परिचालन किया जा रहा है, जिसे जब लेखे में उचित लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो तभी परिचालित किया जाना अभीष्ट है। वर्ष 2017-18 में प्राप्तियों के अन्तर्गत ₹ 18,383.80 करोड़ एवं व्यय के अन्तर्गत ₹ 27,162.32 करोड़ लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों में अपारदर्शिता रही।

/Lrfr% वित्त विभाग द्वारा लघु शीर्ष 800 के अधीन वर्तमान में दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित किया जाय।

(iLrj 3.16)

jkT; ds iuxBu ij vo' k's'kka dk foHkkktu

राज्य सरकार द्वारा अभी भी (नवम्बर 2000 से) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि (₹ 8,757.37 करोड़) विभाजन हेतु अवशेष था।

/Lrfr% राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

(iLrj 3.17)